



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध देशी बन्दूक के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को थाना बिसंडा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी बन्दूक बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के संग्रहण, बिक्री व निर्माण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.02.2025 को थाना बिसंडा पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बीरी विरहंड से अवैध देशी बन्दूक के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध देशी बन्दूक 12 बोर बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में थाना बिसंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

➤ 01 अदद देशी बन्दूक 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चुन्नू उर्फ ज्ञानेन्द्र चौहान पुत्र रामसिया चौहान निवासी बीरी बिरहंड थाना बिसंडा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0 42/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसंडा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री हरिशरण सिंह चौकी प्रभारी ओरन
2. उ0नि0 श्री राम आधार सिंह
3. का0 सोनपाल
4. का0 पवन कुमार